... प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं / ... P.O. साहब
है / का पद रिक्त है। पत्रावली गत / आदेशानुसार पर
27 4/18 दिनांक 3-4-18 को पेश हो।

आज अधि... ...क ... द्वारा कार्य स्थगित। रीडर
सा... ...न्य प्रशा... ...क कार्यों में व्यस्त हैं। P.O.
3 4/18 पत्रावली ... ...नुसार दि० 9-4-18
को पेश हो।

उभय ...क्ष उपस्थित। P.O. साहब
अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / अवकाश पर
है / का पद रिक्त है। पत्रावली गत / आदेशानुसार
9 4/18 दिनांक 9-7-18 को पेश हो।

रीडर

16 5/18 आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार
कैम्प 2018 ग्राम ... शिवाली पर पेश हुई। ...

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम की तारी[illegible]
	प्रकरण में उप०/ प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उप० नहीं है। प्रतिवादीगण को पूर्व में भी नोटिस तामील हो चुके है किन्तु आज तक उप० नहीं है। अत: प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। न्याय आपके द्वार प्रकरण में वादीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण दुरस्ती योग्य है अत: वादी का दावा डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुकार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे [signature] उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)	

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर - बामनवास

(पीठासीन अधिकारीः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रिवाली)

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. प्रहलाद सिंह पुत्र गुलाब सिंह,
2. जयकिशन,
3. कजोड़मल व
4. रामजी लाल

पुत्रगण मोज्या,

सभी जाति गुर्जर निवासी रिवाली, तहसील बामनवास,

वादीगण

बनाम

1. मोहर सिंह पुत्र रामदेव,
2. मनमोहन पुत्र रामदेव,
3. गिर्राज पुत्र मूल्या,
4. नाथू पुत्र गोविंदा,
5. रामधन पुत्र गोविंदा,
6. नाथा पुत्र बिरद्या,
7. श्योदान पुत्र बिरद्या एवं
8. मिश्री लाल पुत्र बिरद्या

सभी जाति गुर्जर, निवासी रिवाली, तहसील बामनवास

9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 61/2017

वादीगण की ओर स्वयं वादीगण उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । यह वाद आज दिनांक 16/5/

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए. एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री दी जाती है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 200 रकवा 0.99 हैक्टेयर स्थित ग्राम रिवाली तहसील बामनवास के 56.5 एयर के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं, इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत इन्द्राजात को निरस्त किया जाकर दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को हाल खसरा नम्बर 200 रकवा 56.5 एयर के कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार का कोई व्यवधान प्रत्यक्षतः या परोक्षतः पैदा न करें ।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 16/5/2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)
(रामकिशोर मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादीगण	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा	00	स्टॉम्प वकालतनामा	00
स्टॉम्प वकालतनामा	00	स्टॉम्प अर्जीदावा	00
स्टॉम्प बजह सबूत	00	मेहनताना वकील	00
मेहनताना वकील	00	खर्चा गवाहान	00
बावत इजराय हुक्मनामा	00	फीस कमिश्नर	00
मुतफर्रिक	00	इजराय हुक्मनामा	00
		मुतफर्रिक	00
योग	00	योग	00